पंजीकृत ए डी डाक/फैक्स द्वारा

सं. 405/31/2007-एफएम/289
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एफ एम प्रकोष्ठ, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 17 जुलाई, 2009

सेवा में,
मैसर्स सिंगला प्रॉपर्टी डीलर्स (प्रा. लि.)
79, गणेश मार्किट, नजदीक उपरिपुल,
हिसार, (हरियाणा) -125001

विषय : अनुमति को रद्द करना

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 22.05.2009 के कारण बताओ नोटस का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें आपकी कंपनी को कारण बताने को कहा गया था कि करार के खंडों 3.1, 3.3 और 3.6 के उल्लंघन के लिए क्यों न अनुमति मंजूरी करार (गोपा) के खंड 25.3.1 के उपबंधों के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए। जबाव देने की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बावजूद (नोटिस प्राप्ति की तारीख से 15 दिन/एक सप्ताह के भीतर) इसे अभी प्राप्त किया गया है।

2. इसके अतिरिक्त, नई बैंक गारंटी जमा करने के लिए समय विस्तार के बावजूद इसे जमा नहीं किया गया है। वास्तव में इस मंत्रालय ने कई पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दिनांक 22.05.2009 को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, परंतु ये अभी भी अनुत्तर हैं।

3. इस मंत्रालय को यह भी बताया गया है कि आपका चैनल 12.09.2008 से प्रचालन में नहीं है, अर्थात चैनल छह माह से अधिक समय से प्रचालन में नहीं है। इस संबंध में आपका ध्यान गोपा की खंड 25.1.2 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निर्धारित करता है कि "यदि चैनल से संचारण किसी भी कारण से छह माह से अधिक समय से बंद हो, तो अनुदाता अनुमति को भी रद्द कर सकता है।"

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कमियों को नजरअंदाज किया जा रहा है (चैनलों के छह माह से अधिक समय से गैर-प्रचालनात्मक होना, बैंक गारंटी जमा न करना, लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करना) और आपकी कंपनी ने पत्रों/कारण बताओ नोटिसों का कोई जबाव नहीं दिया है, हिसार में एफएम रेडियो प्रसारण चैनल को स्थापित करने, अनुरक्षण एवं आपरेट करने के लिए आपको स्वीकृत अनुमति को एतद्द्वारा गोपा के खंड 25.1.2 के तहत रद्द किया जाता है।

संलग्न – यथोपरि

भवदीय,

ह./
(एस. पी. वीर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23384754

प्रति सूचनार्थ :

1. सी ई ओ, प्रसार भारती, पी टी आई बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. डी जी, ए आई आर, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. ई इन सी, ए आई आर, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4. डी जी, डी डी, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली।
5. ई इन सी, डी डी कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली।
6. सी एम डी, बेसिल, 14-बी, रिंग रोड, आई पी स्टेट, दिल्ली।
7. बेतार सलाहकार, डब्ल्यू पी सी, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
8. अपर महानिदेशक, डी ए वी पी, सूचना भवन, सी जी ओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली
9. निदेशक (एम एवं सी), पी आई बी (सुश्री एस. शरन), नई दिल्ली।
10. निदेशक, एन आई सी को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।

ह./
(एस. पी. वीर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23384754